विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 77

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियॉं और प्राप्तियॉं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	639.27	-152.16	487.11	7337.95	431.07	7769.02	3539.42	410.86	3950.28	7570.50	-98.10	7472.40
	पूंजी	***1687.95***	*3326.39*	*5014.34*	*2304.05*	...	*2304.05*	*1460.58*	...	*1460.58*	*2071.50*	...	*2071.50*
	जोड़	**2327.22**	**3174.23**	**5501.45**	**9642.00**	**431.07**	**10073.07**	**5000.00**	**410.86**	**5410.86**	**9642.00**	**-98.10**	**9543.90**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	0.38	24.44	24.82	0.75	27.74	28.49	0.75	25.30	26.05	0.75	28.75	29.50
2. ब्याज माफी													
2.01 नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको)	2801	...	90.21	90.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.02 घटाइए निवल प्राप्तियां	0049	...	-90.21	-90.21	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.03 नीपको की हानियों को बट्टे खाते डालना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- ब्याज माफी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत													
सामान्य													
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2801	4.35	68.39	72.74	35.70	78.26	113.96	4.18	68.28	72.46	45.29	74.56	119.85
	4801	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	1.17	...	1.17	1.00	...	1.00
	जोड़	*5.35*	*68.39*	*73.74*	*37.20*	*78.26*	*115.46*	*5.35*	*68.28*	*73.63*	*46.29*	*74.56*	*120.85*
4. अनुसंधान और विकास													
4.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू	2801	40.36	...	40.36	298.73	...	298.73	20.00	...	20.00	295.53	...	295.53
5. प्रशिक्षण													
5.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)	2801	5.00	5.76	10.76	11.00	6.40	17.40	6.00	6.40	12.40	60.52	6.40	66.92
6. मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना	2801	1.09	...	1.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग													
7.01 सीईआरसी निधि	2801	...	25.06	25.06	...	36.20	36.20	...	36.20	36.20	...	40.30	40.30
7.02 सीईआरसी निधि से पूरी की गई राशि	2801	...	-25.06	-25.06	...	-36.20	-36.20	...	-36.20	-36.20	...	-40.30	-40.30
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ)													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2801	674.85	...	674.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.02 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता हेतु एनआईएफ से पूरी हुई राशि - आरजीजीवीवाई	2801	-674.85	...	-674.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2801	697.94	...	697.94	4041.30	...	4041.30	2868.50	...	2868.50	4850.10	...	4850.10
10. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्शी सेवा के लिए निधियां	2801	...	...	...	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
11. विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण	2801	...	7.69	7.69	...	9.05	9.05	...	8.34	8.34	...	9.79	9.79
12. संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा हेतु संयुक्त जेईआरसी की स्थापना	2801	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	5.50	5.50	...	6.00	6.00
13. विद्युत क्षेत्र के लिए व्यापक पुरस्कार योजना	2801	...	...	...	0.99	...	0.99	0.99	...	0.99	1.00	...	1.00
14. ऊर्जा संरक्षण	2801	37.00	...	37.00	564.45	...	564.45	16.00	...	16.00	107.65	...	107.65
15. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
15.01 ईएपी भिन्न घटक	2801	41.50	...	41.50	189.41	...	189.41	75.00	...	75.00	137.55	...	137.55
15.02 ईएपी घटक	2801	2.60	...	2.60	4.00	...	4.00	2.60	...	2.60	2.00	...	2.00
जोड़- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो		*44.10*	*...*	*44.10*	*193.41*	*...*	*193.41*	*77.60*	*...*	*77.60*	*139.55*	*...*	*139.55*
16. एपीडीआरपी	2801	17.04	...	17.04	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	144.50	...	144.50
17. नियामक क्षमता निर्माण के फोरम को सहायता	2801	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	2.25	...	2.25
18. लाहोरी नागपाला एचईपी	2801	...	...	...	...	536.30	536.30	...	536.30	536.30	...	...	...
19. डिस्कोम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्त सहायता	2801	...	...	...	1500.00	...	1500.00	125.40	...	125.40	400.00	...	400.00
20. एपीडीआरपी के लिए पीएफसी को ऋण	6801	1217.45	...	1217.45	442.50	...	442.50	567.50	...	567.50	963.59	...	963.59
21. राष्ट्रीय बिजली निधि को ब्याज सब्सिडी	2801	...	...	...	151.92	...	151.92	10.00	...	10.00	50.69	...	50.69
22. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	4801	89.45	...	89.45	133.72	...	133.72	30.00	...	30.00	62.92	...	62.92
23. एनटीपीसी के लिए कोयला--धारित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4801	214.24	...	214.24	474.00	...	474.00	474.00	...	474.00	915.00	...	915.00
23.01 घटाएं वसूलियां	4801	-214.24	...	-214.24	-474.00	...	-474.00	-474.00	...	-474.00	-915.00	...	-915.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सामान्य		**2156.28**	**85.84**	**2242.12**	**7455.22**	**634.01**	**8089.23**	**3804.84**	**624.82**	**4429.66**	**7126.09**	**96.75**	**7222.84**
ताप विद्युत उत्पादन													
24. बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन													
24.01 राजस्व व्यय	2801	...	...	...	...	9.95	9.95	...	1.37	1.37	...	1.00	1.00
24.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	0801	...	-262.44	-262.44	...	-240.63	-240.63	...	-240.63	-240.63	...	-224.60	-224.60

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	कुल	...	*-262.44*	*-262.44*	...	*-230.68*	*-230.68*	...	*-239.26*	*-239.26*	...	*-223.60*	*-223.60*
पारेषण और वितरण													
25. स्मार्ट ग्रिड	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
26. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को सहायता	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
27. दीनदयाल उपाध्याय फीडर स्प्रेशन स्कीम	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...	500.00
28. एकीकृत विद्ययुत विकास योजना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
29. विद्ययुत प्रणाली प्रचालन कंपनी (पोसोको)	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
30. श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन	4801	...	...	...	226.00	...	226.00	65.40	...	65.40	268.14	...	268.14
31. हरित ऊर्जा कॉरिडोर	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
32. विद्ययुत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ)													
32.01 विद्ययुत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) को अंतरण	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
32.02 पीएसडीएफ से पूरा करने के लिए विद्ययुत प्रणाली विकास निधि योजना	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
32.03 विद्ययुत प्रणाली विकास निधि से ली गई धनराशि	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1.00	...	-1.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1.00*	...	*1.00*
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान													
33.01 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आर्थिक सहायता - आरजीजीवीवाई	2552	...	...	...	458.70	...	458.70	269.15	...	269.15	293.99	...	293.99
33.02 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर छः पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	2552	...	...	...	...	...	...	62.35	...	62.35	200.00	...	200.00
33.03 एपीडीआर के तहत पीएफसी को ऋण	6552	...	...	...	57.50	...	57.50	57.50	...	57.50	152.95	...	152.95
33.04 अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	175.18	...	175.18
33.05 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	4552	...	...	...	398.34	...	398.34	62.34	...	62.34	142.10	...	142.10
33.06 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकारी उद्यमों में निवेश	6552	...	...	...	48.66	...	48.66	48.66	...	48.66	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान		...	...	...	*964.20*	...	*964.20*	*501.00*	...	*501.00*	*964.22*	...	*964.22*
जोड़-पारेषण और वितरण		**...**	**...**	**...**	**1190.20**	**...**	**1190.20**	**566.40**	**...**	**566.40**	**2036.36**	**...**	**2036.36**
जोड़-विद्युत		**2156.28**	**-176.60**	**1979.68**	**8645.42**	**403.33**	**9048.75**	**4371.24**	**385.56**	**4756.80**	**9162.45**	**-126.85**	**9035.60**

सं 77/विद्युत मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
34. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश													
34.01 नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. में निवेश	4801	30.51	...	30.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34.02 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	6801	270.37	...	270.37	995.83	...	995.83	628.01	...	628.01	478.80	...	478.80
34.03 नीपको के लिए ऋण	6801	79.17	...	79.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा सरकारी उद्यमों में निवेश		*380.05*	*...*	*380.05*	*995.83*	*...*	*995.83*	*628.01*	*...*	*628.01*	*478.80*	*...*	*478.80*
35. डेसू के पिछले बकाया के निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायता	7602	...	3326.39	3326.39	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36. वास्तविक वसूलियां	2801	-209.49	...	-209.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		*2327.22*	*3174.23*	*5501.45*	*9642.00*	*431.07*	*10073.07*	*5000.00*	*410.86*	*5410.86*	*9642.00*	*-98.10*	*9543.90*

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
34.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	12801	...	19925.53	19925.53	...	20200.00	20200.00	...	20200.00	20200.00	...	22400.00	22400.00
34.02 राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम लि.	12801	270.37	3036.89	3307.26	995.83	2453.76	3449.59	628.01	2430.11	3058.12	478.80	2745.46	3224.26
34.03 दामोदर घाटी निगम लिमिटेड	12801	...	3366.65	3366.65	...	4080.82	4080.82	...	3515.97	3515.97	...	2764.99	2764.99
34.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक)	12801	109.68	952.94	1062.62	447.00	1542.61	1989.61	111.00	1550.77	1661.77	142.10	945.88	1087.98
34.05 सतलुज जल विद्युत निगम लि.	12801	...	842.15	842.15	...	964.08	964.08	...	964.08	964.08	...	1091.93	1091.93
34.06 टिहरी जल विकास निगम लि.	12801	89.45	201.72	291.17	133.72	446.14	579.86	30.00	301.96	331.96	62.92	793.76	856.68
34.07 भारतीय पावर ग्रिड निगम लि.	12801	...	20360.00	20360.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00
जोड़		**469.50**	**48685.88**	**49155.38**	**1576.55**	**49687.41**	**51263.96**	**769.01**	**48962.89**	**49731.90**	**683.82**	**50742.02**	**51425.84**
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	2327.22	48685.88	51013.10	8677.80	49687.41	58365.21	4499.00	48962.89	53461.89	8677.78	50742.02	59419.80
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	964.20	...	964.20	501.00	...	501.00	964.22	...	964.22
जोड़		**2327.22**	**48685.88**	**51013.10**	**9642.00**	**49687.41**	**59329.41**	**5000.00**	**48962.89**	**53962.89**	**9642.00**	**50742.02**	**60384.02**

1. **सचिवालय:** विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान है।

3. **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण::** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोन्नत करने और उनको समय पर

पूरा करने में सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सीईए केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति पर परामर्श देता है तथा विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालीन भावी योजनाएं बनाता है। यह विद्युत क्षेत्र के सभी पहलुओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, अभिलेखन तथा उन्हें सार्वजनिक करने, अन्वेषण करने एवं अनुसंधान करने को बढ़ावा देने को भी अनिवार्य करता है।

4. **अनुसंधान एवं विकास:** केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलैक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और अवयवों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

5. **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

7. **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग:** ईआरसी एक्ट 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का गठन किया था। केन्द्रीय आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सांविधिक निकाय के रूप में है जो 10 जून, 2003 से प्रभावी हुआ है।

9. **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई):** ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की यह स्कीम सभी ग्रामीण घरों को विद्युत पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल, 2005 में प्रारंभ की गई। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी), ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) के सृजन तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन तथा आपूर्ति के प्रावधानों की 90% पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषण किया जा सकता है। आरईडीबी, वीईआई तथा डीडीजी कृषि तथा अन्य कार्य-कलापों की आवश्यकता की भी पूर्ति करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत, गैर-विद्युतीकृत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार निःशुल्क विद्युत के कनैक्शन प्राप्त करेंगे। सरकार ने छोटे वासस्थलों के कवरेज को बढ़ाने के लिए 300 के बजाए 100 तक की जनसंख्या वाले वासस्थलों के विद्युतीकरण को मंजूरी प्रदान की है। आरजीजीवीवाई ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण के सृजन की फ्लैगशिप स्कीम है।

10. **मूल्यांकन अध्ययनों तथा परामर्श के लिए निधियां:** यह प्रावधान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन करवाने के लिए है।

11. **विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एपटेल उस अधिनियम के उद्देश्य से अपीलीय अधिकरण है।

12. **गोवा एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी):** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया गया है। संयुक्त आयोग के व्यय का केंद्र सरकार तथा गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

13. **कंप्रिहेंसिव अवार्ड स्कीम:** विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रचालन, परियोजना प्रबंधन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत उत्पादन केंद्रों, पारेषण और वितरण यूटिलिटियों तथा ग्रामीण वितरण के फ्रेंचाइजियों को विद्युत मंत्रालय द्वारा शील्ड और प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

14. **ऊर्जा संरक्षण:** निधि का उपयोग मुद्रण, इलैक्ट्रोनिक एवं अन्य मीडिया के माध्यम से जनसामान्य के लिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर ई.सी. अवार्ड तथा चित्रकारी प्रतियोगिताएं जारी। निधि का उपयोग नेशनल मिशन फार इन्हेंसड इनर्जी (एनएमईईई) के कार्यान्वयन के लिए तथा बंद पड़े हुए निवेशों को खोलने हेतु ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार का सृजन करने और उसे बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा।

15. **ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई):** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, मानक एवं लेबलिंग (एस. एंड एल.) उपकरणों, कृषि/नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, औद्योगिक उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करने सहित एसएमई तथा बड़े उद्योगों, एसडीए के क्षमता निर्माण इत्यादि के क्षेत्रों में इसकी विभिन्न ऊर्जा क्षमता पहलों के कार्यान्वयन के लिए निधि प्रदान की जाएगी। सरकार की इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी तथा ऊर्जा खपत की वृद्धि दर में कमी आएगी।

16. **पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य यूटिलिटियों को एटी एंड सी हानियों के स्तर को कम करके 15% तक ले जाने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं। भाग-क में ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा प्रणाली आधारित सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना की परियोजनाएं शामिल हैं जिनसे परियोजना क्षेत्रों में एटी एंड सी हानि स्तरों के सत्यापनीय बेस लाइन को अंतिम रूप दिया जाता है। भाग-ख में वितरण सुदृढ़ीकरण निवेशों की योजना है जिनसे हानि के स्तर में कमी लाई जाएगी।

17. **क्षमता निर्माण के लिए विनियामक मंच को सहायता::** क्षमता निर्माण और परामर्शी का लाभ प्राप्त करने के लिए विनियामकों के मंच के लिए निधियां मुहैया कराये जाने का प्रावधान है।

19. **डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना को वित्तीय सहायता:** राज्य डिस्कॉमों के टर्नअराउंड को समर्थ बनाने तथा उनकी दीर्घकालीन संभाव्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा स्कीम तैयार तथा अनुमोदित की गई है। स्कीम में, ट्रांजिशनल वित तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार की सहायता से, राज्य डिस्कॉमों तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय टर्न अराउंड को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं।

21. **राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम):** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण

कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है। पात्रता की पूर्वशर्त राज्यों द्वारा किए गए कुछ सुधार उपायों से संबद्ध है तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों से संबद्ध है।

25. **स्मार्ट ग्रिड:** स्मार्ट ग्रिड की योजना 12वीं योजना में शामिल परियोजनाओं में से एक है जिसका परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना तकनीक प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से लेकर उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार को कम करना सुनिश्चित करता है।

26. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए पावर सेक्टर का समर्थन:** दिल्ली पारेषण प्रणाली मे पर्याप्त क्षमता/अतिरेक की कमी है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मे लगातार बंदी / विद्युत की कटौती होती है। तदनुसार विद्युत मंत्रालय ने पारेषण प्रणाली के मज़बूत बनाने के लिये दिल्ली सरकार को विशेष सहायता देने का निर्णय लिया है

27. **दीन दयाल उपाध्याय फीडर पृथक्करण स्कीम:** यह स्कीम 2500.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से 12वीं योजना में शामिल है। इस योजना के क्षेत्र में कृषि और गैर-कृषि आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण शामिल है।

28. **एकीकृत पावर विकास योजना:** इस योजना के क्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(क) देश में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में अत्यधिक अंतर को दूर किया जाना।

(ख) पूरे देश में सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग।

29. **पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको):** स्कीम में मैसर्स पोसोको में मैसर्स पीजीसीआईएल द्वारा हाल ही में धारित समग्र इक्विटी का अधिग्रहण करने और एतदद्वारा इसे भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने की परिकल्पना की गई है।

30. **श्रीनगर से बरास्ता कारगिल लेह तक 220 केवी पारेषण लाइन::** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2.1.2014 को आयोजित अपनी बैठक में, जम्मू एवं काश्मीर (जे एंड के) में एलस्टांग (श्रीनगर) से लेह (बरास्ता द्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा द्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

31. **हरित ऊर्जा गलियारा:** यह स्कीम विद्युत प्रणाली की सुरक्षा तथा स्थायित्व से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम रूप से बढ़ाने तथा मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण के लिए प्रस्तावित है।

32. **पावर सिस्टम डेवलेपमेंट फण्ड (पीएसडीएफ):** पीएसडीएफ स्कीम का अनुमोदन विगत वित्तीय वर्ष में मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। स्कीम के लिए विद्युत मंत्रालय की ओर से किसी शुद्ध बजटीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि परियोजना पर होने वाले व्यय को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा लगाए गए विनायामक प्रभारों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों से वित्तपोषित किया जायेगा।

33.02. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में (सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश के सिवाय) विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना::** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग की सलाह पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था। अतः सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश की अंतरा-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

33.04. **अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी हैं।

34.01. **एनटीपीसी लिमिटेड:** ताप विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र उत्पादक कंपनी के रूप में 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। निगम का तेजी से विकास हुआ तथा यह भारत की विशालतम ताप विद्युत उत्पादक कंपनी बन गई। कंपनी में जल विद्युत क्षेत्र, विद्युत व्यवसाय, कोयला खनन इत्यादि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अपने विविध कार्यों को मूर्तरूप देने के लिए कंपनी का एनटीपीसी लिमिटेड के रूप में पुनःनामित किया गया है। 31 दिसंबर, 2013 को एनटीपीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रूपए थी तथा प्रदत्त पूंजी 8,245.46 करोड़ रूपए थी। 31 दिसंबर, 2013 को एनटीपीसी तथा इसके संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों की संस्थापित क्षमता 42454 मेगावाट थी।

34.02. **एनएचपीसी लिमिटेड:** एनएचपीसी लि0. 1975 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार का मिनिरत्न श्रेणी-क का उद्यम है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 15,000 करोड़ रूपए है तथा 31 मार्च, 2013 को प्रदत्त पूंजी 11071.00 करोड़ रूपए है। 31.12.2013 को एनएचडीसी (मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी) सहित एनएचपीसी की कुल संस्थापित क्षमता 5927 मेगावाट है।

34.03. **दामोदर घाटी निगम (डीवीसी):** दामोदर घाटी में सिंचाई, जलापूर्ति, निकास, उत्पादन, पारेषण तथा जलविद्युत को बढ़ावा देने तथा प्रचालन के लिए 1948 में डीवीसी की स्थापना की गई थी। 31.12.2013 को डीवीसी की कुल संस्थापित क्षमता 6907.20 मेगावाट थी।

34.04. **नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अनुसूची 'क' की कंपनी नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की स्थापना 2 अप्रैल, 1976 को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के नियोजित विकास तथा उन्हें चालू करने के द्वारा विद्युत संभाव्यताओं के विकास के उद्देश्य के साथ की गई थी जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रूपए है। वर्तमान संस्थापित क्षमता 1130 मेगावाट है जिसमें 755 मेगावाट जलविद्युत तथा 375 मेगावाट गैस आधारित विद्युत शामिल है।

34.05. **एसजेवीएन लिमिटेडः (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी):** (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन लिमिटेड-एनजेपीसी) जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन, अन्वेषण, आयोजन, निष्पादन, प्रचालन

तथा अनुरक्षण करने के लिए 24 मई, 1988 को एसजेवीएन लिमिटेड (पूर्व में नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन) की स्थापना भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी जिनकी इक्विटी सहभागिता क्रमशः 75:25 के अनुपात में थी। भारत सरकार ने मई, 2010 में एसजेवीएन के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से सार्वजनिक तथा वित्तीय संस्थानों को इसके 10.03 % शेयर प्रस्तुत किए थे। एसजेवीएन 'अनुसूची-क' की एक मिनिरत्न कंपनी है। 31.12.2013 को मौजूदा संस्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है ।

34.06. **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड:** 2400 मेगावाट के टेहरी जल विद्युत कांपलेक्स तथा अन्य परियोजनाओं के विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए मिनिरत्न-श्रेणी-1 तथा आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित पीएसयू कंपनी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जुलाई, 1988 में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित हुई थी। टेहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) सहित टेहरी जल विद्युत कांपलेक्स (2400 मेगावाट) 2007 से प्रचालनाधीन है तथा कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) अप्रैल, 2012 से प्रचालनाधीन है।

34.07. **पीजीसीआईएल:** पावरग्रिड कारपोरेशन और इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड 23 अक्टूबर, 1989 को भारत सरकार के उद्यम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, 5,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी, जो बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए की जा चुकी है, के साथ निगमित किया गया था। 31 दिसम्बर, 2013 को 765 केवी एस/सी रायचूर-सोलापुर पारेषण लाइन को चालू किए जाने के साथ ही, दक्षिणी ग्रिड का अंतर संयोजन शेष राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के साथ समक्रमणित कर लिया गया है।